


फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर अहकाम की तामिल हुये
	<p>07.08.2023 उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित मूलवाद में विस्तृत निर्णय पारित होकर अन्तिम डिक्री जारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं होने से स्वतः ही प्रभावहीन होने से दिनांक 08.12.2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल वाद संख्या 357/2021 अनवानी निशान्तसिंह बनाम दर्शनसिंह के साथ संलग्न हो।</p> <p style="text-align: center;"> (संजना जोशी) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा</p>	